भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2493
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

सामाजिक सुरक्षा कवरेज

†2493. श्री सुदामा प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2025 में बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अनौपचारिक, गिग और माइग्रेंट कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने में जो मुख्य कमियां रह गई हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तार में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) इलोस्टेट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत का विस्तार डिजिटल और वित्तीय समावेशन की मजबूत नींव द्वारा सक्षम किया गया है।

पहली बार, 'गिग कामगार' और 'प्लेटफॉर्म कामगार' की परिभाषा और उससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में किए गए हैं जो दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गयी है।

यह संहिता जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों को तैयार करने का उपबंध करती है। यह संहिता कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का उपबंध करती है। संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने का भी उपबंध है।

जारी/-2

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने गिग कामगार, प्लेटफॉर्म कामगार आदि सहित असंगठित कामगारों के एक व्यापक केंद्रीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके पंजीकृत करना और सहयोग प्रदान करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का भी शुभारंभ किया है जिसमें एकल पोर्टल अर्थात ई-श्रम में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एकीकरण शामिल है। ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में उन्हें सक्षम बनाने की परिकल्पना की गई है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप किया जा चुका है जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि शामिल है।

उपर्युक्त के अलावा, ई-श्रम प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम), राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), नए युग के अभिशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग), डिजिटल लॉकर (डिजिलॉकर), माई स्कीम और ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म (ओजीडी) से जुड़ा हुआ है।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा के लिए, केंद्र सरकार ने अंतर-राज्य प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 लागू किया था। इस अधिनियम को अब व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाए (ओएसएच) संहिता में शामिल किया गया है, जो 21.11.2025 से लागू हो गया है।

***